

प्रार्थना

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त केस को उपरोक्त समझौते के अनुसार निर्णयित किया जाकर समझौते स्पष्ट तालमेल न्याया समझौते को डिक्री का भाग बनाये जाने की कृपा की जाय, अति कृपा होगी ।

विपक्षीय

वादीय

- ✓ 1. रहीसपाल सिंह  
पुत्र श्री दुलीप सिंह  
निवासी-दुर्गा कालोनी,  
अलीगढ़ ।
- ✓ 2. श्रीमति मन्जू सिंह  
पत्नी श्री रहीसपाल सिंह  
निवासी- दुर्गा कालोनी,  
अलीगढ़ ।
- ✓ 3. पुनी लाल  
पुत्र श्री हीरा लाल  
निवासी- नगला तिकाना,  
अलीगढ़ ।
- ✓ 4. विष्णु सिंह  
पुत्र श्री बाईपती सिंह  
मैनेजिंग डाइरेक्टर वाइगस  
इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड  
निवासी-5/39आई0टी0आई0  
गेट के सामने, अलीगढ़ ।

- ✓ 1. श्याम बाबू  
पुत्र श्री मन्ना मोहन  
निवासी- बंदीनवा  
घोक, अलीगढ़ ।
- ✓ 2. दुलीप सिंह  
पुत्र श्री रामेश्वर ब्याल  
निवासी- बंदीनवा घोक,  
अलीगढ़ ।



सत्य प्रतिलिपि  
22-4-26  
राजस्व अगिले  
कलेक्टर, अलीगढ़

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18/4/26  
नकल तैयार होने का दिनांक 21/4/26  
नकल देने का दिनांक 22-4-26  
दिनांक= 5-2010

नकल नवीस के हस्ताक्षर .....  
मिलान करने के हस्ताक्षर .....  
नकल शब्द की संख्या .....

Handwritten signature and date 12/4/26

॥स॥- यह कि नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शाता भाग के मातहत व काबिज चुन्नी लाल प्रतिवादी है और भविष्य में रहेगा । अर्थात् नक्शा समझौता में पीले रंग से दर्शाता भाग चुन्नी लाल का है ।

॥द॥- यह कि नक्शा समझौता में हरे रंग से दर्शाता भाग के मातहत व काबिज रहीसपाल सिंह पुत्र श्री दुलीप सिंह निवासी दुर्गा कालोनी अलीगढ़ व उनकी पत्नी मन्जू सिंह संयुक्त रूप से मातहत व काबिज है तथा भविष्य में रहेगा । अर्थात् नक्शा समझौता में दर्शाता हरे रंग का कुरा रहीसपाल सिंह व उनकी पत्नी मन्जूसिंह का है ।

॥य॥- यह कि नक्शा समझौता में पक्षकारों के भूभाग को प्रथक-प्रथक नक्सा संख्या- 404 के सम्बन्ध में दर्शा-दिखाया गया है तथा नक्शा समझौता डिगरी का अंग रहेगा ।

॥र॥- यह कि नक्शा समझौता में दर्शाता प्रथक भूभाग के सम्बन्ध में एक दूसरे पक्षकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, तथा कुरेगात में आये हुये भूभाग पक्षकार जिस तरह चाहे उस तरह प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

॥ल॥- यह कि पक्षकारवाद व्यय स्वयं अपना- अपना वहन करेंगे

रहीसपाल सिंह मंजूसिंह चुन्नी लाल

Signature (Vikram Singh)

2/11/2000

Signature (B. Kumar)





7295  
22/5/20

कागज (अन्तिम) कागज (अन्तिम)

कागज - असदपुर मोगा  
परगना तहसील कोल अलीगढ़  
गाटासं - 24.5/10

नया प्रारम्भिक डिकी दि०-26-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० प्र० कोल अलीगढ़।

✓ अन्तर्गत धारा- 176 ज० वि० एवं मू० व्यव० अधि०।

✓ वाद सं०-327

संस्थित दिनांक-02-1-2010.

✓ 1-श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीप कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी गण चंदनिया चौक शहर अलीगढ़। .....वादी।  
वनाम

✓ 1- श्री रहीसपाल सिंह पुत्र दिलीप सिंह 2-श्रीमती मुजू कुमार पत्नी रहीसपाल सिंह निवासी गण दुर्गा कालोनी 3-श्री चुन्नीलाल पुत्र हीरालाल निवासी नगला तिकोना शहर अलीगढ़।

4-पाइगस इन्फा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह पुत्र वाई०पी० सिंह निवासी 5/39 आई०टी०आई० गेट के सागने अलीगढ़। .....प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष।

5- ग्राम समा असदपुर क्याम द्वारा ग्राम प्रधान/अध्यक्ष भ० प्र० असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल तहसील कोल जिला अलीगढ़। .....प्रतिवादी द्वितीय पक्ष।

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 176 ज० वि० एवं मू० व्यव० अधिनियम सन् 1950 बाबत विवादित स्थित भूमि खाता सं० 14 गाटासं० 404 रकबा 1.416 है० लगानी 35.00 रु० मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।

आज यह वाद निर्णय अन्तिम हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्रथम श्रेणी कोल अलीगढ़ के समक्ष उपस्थित श्री आर०के० पाठक एडवोकेट वादी की ओर से तथा श्री वृजेन्द्र पाल सिंह व श्री शैलेन्द्र कुमार पंचोरी एडवोकेट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत होकर आदेश दिनांक 24-5-2010 को हुआ कि वाद में वर्णित विवादित भूमि मौजा असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं० 14 गाटासं० 404 रकबा 1.416 है० लगानी 35.00 रुपये में वादी श्यामबाबू का 1121/1416 भाग व वादी सं०-2 दिलीप कुमार का 1121/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-1 रहीसपाल सिंह का 3059/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-2 श्रीमती मन्जू कुमारी का 1297/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-3 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं०-4 विक्रम सिंह का 6917/1416 भाग घोषित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद व्यय अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे। आज यह डिकी दिनांक 26-5-2010 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से निर्गत हुई।

(राजेश्वर अहमद)

26/5/20

(ज्ञानेन्द्र सिंह)

उपजिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० प्र० कोल अलीगढ़।

नाना पत्र देने का दिनांक 18/4/26

नकल तैयार होने का दिनांक 21/4/26

नकल देने का दिनांक 22/4/26

नकल नसीब के हस्ताक्षर .....

मिलान करने के हस्ताक्षर .....

नकल शब्द की संख्या .....



सत्य प्रतिलिपि

22.4.26

राजेश्वर अहमद

कागज अलीगढ़



7295  
1350

कॉपीराइट शब्दों के अभाव में

## न्यायालय उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर, प्रथम श्रेणी कोल, अलीगढ़।

- ✓ वाद सं०-327
- ✓ मौजा-असदपुर क्याम
- ✓ श्यामबाबू आदि

- ✓ अन्तर्गत धारा- 176 ज०वि० एवं भूमि व्यव० अधि०
- ✓ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़।
- ✓ वनाम रहीसपालसिंह आदि

नकल निर्णय दि० 24.5.2010 ला० सं० 24 S10

प्रस्तुत वाद धारा-176 ज०वि० एवं भूमि व्यव० अधि० के अन्तर्गत श्री श्यामबाबू पुत्र मदनमोहन व दिलीपकुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी गण चंदनियाँ चौक शहर अलीगढ़ परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ द्वारा दिनांक 02-1-2010 को योजित किया गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित किया गया है कि मौजा अरादपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं०-14 के गाटा सं० 404 रकबा 1.416 है 0 लगानी 35-00 रुपये वार्षिक पर वादी व प्रतिवादी बतौर सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर काविज व दखील है। वादीगण व प्रतिवादीगण में जुतई बुवाई एवं लगान आदि बँटवारा के वाद विवाद बना रहता है। जिससे वादीगण अपने हिस्से की भूमि का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। इस कारण उक्त वाद दायर किया गया है। प्रार्थना की है कि वादीगण का कमरा 1121/1416, 1121/1416 भाग घोषित कर प्रारम्भिक डिकी निर्गत करने की कृपा करें।

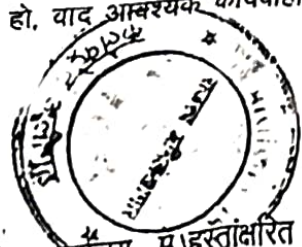
वाद दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार सम्मन जारी किये गये, वाद तामील सम्मन मिसिल हा। प्रतिवादी सं० 2 श्रीमती मन्जूकुमारी ने अपनी आपत्ति दिनांक 08-3-2010 में कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर असहमति व्यक्ति की गयी है। इसके वाद दिनांक 13-5-2010 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादीगण श्री रहीसपालसिंह, श्रीमती मन्जूसिंह, चुन्नीलाल, विक्रमसिंह एवं वादीगण श्री श्यामबाबू व दिलीप कुमार द्वारा एक समझौता प्रार्थनापत्र मय नक्शा नजरी के प्रस्तुत किया है जिसके कहा है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर सभी पक्षगण सहमत हैं और न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति के हस्ताक्षर किये गये, तदनुसार वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाय।

पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया। उक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वाद पत्र में वर्णित अंशों पर कोई आपत्ति नहीं है, सभी पक्षगण द्वारा समझौता प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वादीगण का वाद डिकी किया जाय। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा, असदपुर क्याम परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के खाता सं०-14 के गाटा सं० 404 रकबा 1.416 है 0 लगानी 35-00 रुपये वार्षिक में वादी सं० 1 श्यामबाबू का 1121/1416 भाग व वादी सं० 2 दिलीपकुमार का 1121/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 1 रहीसपालसिंह का 3059/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 2 श्रीमती मन्जूकुमारी का 1297/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 3 चुन्नीलाल का 641/1416 भाग व प्रतिवादी सं० 4 विक्रमसिंह का 6917/1416 भाग घोषित किया जाता है तदनुसार प्रारम्भिक डिकी जारी हो, वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में सूचित हो।

दिनांक:-24-5-2010.



(ज्ञानेन्द्र सिंह)  
उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० अ०  
कोल, अलीगढ़

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया है।

दिनांक:-24-5-2010

सत्य प्रति  
22.5.26  
राजस्थान  
कलेक्टर अ०

उप जिलाधिकारी / सहायक लेक्टर प्र० अ०  
कोल, अलीगढ़।

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 18/4/26  
नकारा आधार होने का दिनांक 21/4/26  
नकारा देने का दिनांक 22/5/26

नकल नवीन के हस्ताक्षर  
मिलान करने के हस्ताक्षर  
नकल शब्द की संख्या

ਅੰਤਿਮ ਪਾਠ (ਅੰਤਿਮ ਪਾਠ) 15/12/2020, 11/12/2020

न्यायालय श्रीमान उप-जिलाधिकारी महोदय हेकोल हे, गलगाव ।

वाद संख्या-327 तन् 2010

✓ श्याम बाबू आदि बनाम रटीराम सिंह आदि

✓ अ० ५१० = 176/182 जेव्हा मूल स्थिति आरंभ होई

✓ मौजा- अलाहपुर ब्याग, तहसील- कोल,

✓ जिला- अलीगढ़ । तारीख 24-5-10

श्रीमान जी,

मुद्रण समझोता मिनजानिव पंक्षकाराने १३०-

1- यह कि वादीगण ने उपरोक्त चाद गाटा रक्खा-404 लिखित अनुसूच  
क्याम तहसील कोल जिला अलीगढ़ के सम्बन्ध में बंटवारे से हुए कानून  
सह-भूमिधर श्रीमान जी के न्यायालय में दाखर किया है जिसमें पक्षकारों  
के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर बंटवारे सम्बन्धी समझौता हो गया है -

8 अक्ष-यह कि समझाते के साथ तेलगु नक्शा में लाल रंग से चिह्नित भाग के  
मालिक व कारिबन वाइंगल इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा  
के द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर विक्रम सिंह पुत्र श्री चारण पीठ सिंह है  
और भविष्य में रहेंगे। यानि कि लाल रंग से चिह्नित भाग का मालिक  
इनके कुरे में है।

प्रबन्ध-यह कि नक्शा समझाता में दीर्घा नीले रंग के भाग के माथे के च  
काबिज संयुक्त रूप से प्रियाम बाबू पुत्र श्री गदन  
कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दयाल संपन्न है और भविष्य में उत्तम अर्थात्  
नक्शा समझाता में नीला रंग से दीर्घा भाग इनके कुरे में रहेगा ।

इसका नाम है मंजुसिंह कुमारी लाल



स्थित - असदपुर क्याम परगना व तहसील - कोल गिला-  
अलीगढ़। गारा नं. - ५०५

वाइगस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर  
सी विक्रम सिंह रकबा ०.८७१७ ई.  
सी रघुम बाबू व सी दिलीप सिंह रकबा ०.२२५२ ई.

सी चुन्नी लाल रकबा ०.०६५१ ई.

सी रहीम चाल सिंह व मंगू सिंह रकबा ०.५३५६.

